न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंघाना जिला झुन्झुनु

मु०न०	किस्म मु०	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
23/19	धारा 91	26.6.19	12.7.19

उनवान सरकार बनाम धर्मपाल बाबूलाल पुत्र बहादुरमल जाति गुर्जर नि० डुमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम डुमोली खुर्द की राजकीय भूमि गै०मु० रास्ता ख०न० 2145/1379 रकबा 2.08 किस्म गै०मु० चारागाह में से 520 फुट भूमि पर अतिक्रमी बनाम धर्मपाल बाबूलाल पुत्र बहादुरमल जाति गुर्जर नि० डुमोली खुर्द तहसील बुहाना ने अवैध रूप से कुड़ा डाल कर अवैध रूप से अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी उपस्थित हुआ। प्रा०पत्र पेश किया गया जो पत्रावली शामील किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमी जो काबिज नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिक्रमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये दुकान के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 1 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50 /- रु बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू०अ०नि०/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसुली/ कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू० अ०नि० को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 12.07.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
बुहाना झुन्झुनु

... 8 ...
... 53 ...

Scanned with CamScanner